प्रेषक,

संख्या 600/वि0अनु0–3/2002

इन्दु कुमार पान्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3

देहरादून : दिनांक 31 अक्टूबर, 2002

विषय :– तदर्थ बोनस :– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पत्रित निम्नलिखित :–

1. शासनादेश संख्या 145/वि0अनु0–3/(कैम्प)/2001, दिनांक 08 नवम्बर, 2001
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या 14 (4) ई/संस्था समन्वय–1/2002, दिनांक 07 अक्टूबर, 2002

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 08 नवम्बर, 2001 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2000–2001 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3. उपर्युक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 08 नवम्बर, 2001 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 10,500/– तक है को वर्ष 2001–2002 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2002 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु0 10,500/– तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रु0 6500–10,500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें 01–01–1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, के सम्बन्ध में पद के वेतनमान का अधिकतम रु0 3500/– तक

माना जायेगा। परन्तु रु0 6500–10,500 (पूर्ववर्ती रु0 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2002 को सेवा में थे और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2002 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रु0 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रु0 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानों उनकी परिलब्धियाँ रु0 2500/– प्रतिमाह है।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9 (21) (i), 9 (23) तथा 9 (25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और मंहगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या वे–आ–1–2043/दस–93–39 (एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तक तथा शासनादेश संख्या वे–आ–1–624/दस–39 (एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः रु0 100/– प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु0 100/– प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या वे–आ–1–774–दस–39 (एम) 93 टी0सी0, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत "अंतरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) रु0 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च, 2002 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ तदर्थ बोनस के रूप में रु0 2467/– होगी (रु0 2500x30/30.4 = 2467.10)।

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2001–2002 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2001–2002 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(8) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4. कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2002 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2002 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियाँ रु0 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु0 1200x30/30.4=1184.21 अर्थात् रु0 1184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रु0 1200/– प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत का नकद भुगतान दो बराबर किश्तों में माह नवम्बर, 2002 तथा माह दिसम्बर, 2002 में किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2002 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 31 मार्च, 2003 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनके अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। तदर्थ बोनस की धनराशि के आहरण की प्रक्रिया इस शासनादेश के संलग्नक के अनुसार होगी।

6. बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे–आ0–1–120/दस–1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर–1 (7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत् लागू रहेंगी।

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–600/वि0अनु0–3/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, 5–ए, थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
5. सचिव, राज्यपाल महोदय, देहरादून।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर, कानपुर/देहरादून।
9. संयुक्त निदेशक, कोषागार, सिविल कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, इरला चैक।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
11. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
12. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, सचिवालय परिसर, लखनऊ, उ0प्र0।
13. वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 9 सा0 वित्त/443–11–11–2002–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

शासनादेश संख्या 600/वि0अनु0–3/2002, दिनांक 31 अक्टूबर, 2001 का संलग्नक

(1) तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि के आहरण हेतु बिल कोषागार में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि बोनस की नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में माह नवम्बर, 2002 तथा माह दिसम्बर, 2002 को अथवा उसके बाद ही जाये।

(2) तदर्थ बोनस की धनराशि के आहरण हेतु बिल में अनुमन्य धनराशि, जी0 पी0 एफ0 में जमा की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि तथा नकद भुगतान की जाने वाली शेष 50 प्रतिशत धनराशि दो बराबर किस्तों में अलग–अलग कालम में दर्शाया जाये। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को अनुमन्य तदर्थ बोनस की धनराशि रूपये 2467/– के आहरण एवं भुगतान को बिल में निम्नवत् दर्शाया जाना होगा :–

नाम/पदनाम	तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि	जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली धनराशि	जी0पी0एफ0 एकाउन्ट नम्बर	नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि	
				"क"	"ख"
श्री	2467	1233		617	617
योग					

(3) ऐसे मामले में जिनमें कर्मचारी जी0पी0एफ0 का सदस्य न हो और धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में दी जानी हो अथवा उन मामलों में जिनमें अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाना हो उसे संबंधित कर्मचारी के समक्ष स्तम्भ (क) में दर्शाया जाय।

(4) कोषागार द्वारा नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि के लिए उपरोक्तानुसार बिल में कालम (क) तथा (ख) के अन्तर्गत अंकित धनराशि के दो चैक जिसमें एक का भुगतान माह नवम्बर, 2002 में होगा तथा दूसरे पर "भुगतान दिनांक 01–12–2002 से पूर्व नहीं" का अंकन कर एक साथ निर्गत किये जायेंगे।